

प्रेषक,

उदय राज सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक 19 मार्च, 2021

विषय:- राजस्व लेखा मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत 27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-2327/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी-1 (पुनर्विनियोग)/कैम्प, दिनांक 08.12.2020, पत्र संख्या-2422/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी-1 (पुनर्विनियोग)/कैम्प, दिनांक 15.01.2021 एवं पत्र संख्या-05/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी-1 (पुनर्विनियोग)/कैम्प, दिनांक 03.02.2021 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व लेखा अनुदान संख्या-20 के 27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में संलग्न बी0एम0-09 पर अंकित विवरणानुसार ₹ 87.00 लाख (रूपये सत्तासी लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
- (ii) विभाग तथा अधिवक्ता के मध्य सम्पादित शर्तों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके साथ ही विभाग अपेक्षित लाभ/वादों की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में परीक्षण करते हुए संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे तथा अग्रिम Engagement से पूर्व Past-Performance/पैरवी इत्यादि के सम्बन्ध में, यदि राजकीय हित में कार्यवाही हुई है, उसी दशा में Further Engagement के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।
- (iii) धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः.....2

- (iv) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 एवं उससे सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
- (vi) अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग विलम्बतम् दिनांक 31.03.2021 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।
- (vii) इस सम्बन्ध में होने व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0-9 के कालम-07 के नामे डाला जायेगा तथा बी0एम0-9 के कालम-01 की बचतों से वहन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-1020/XXVII(2)/2021, दिनांक 19 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : बी0एम0-9

भवदीय,

(उदय राज सिंह)  
अपर सचिव।

संख्या- 265 (1) / 11(02) / 2021-04(04) / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)  
उप सचिव।